न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 88/2022

उनवान

1. प्रेमचन्द पुत्र छोटूलाल जाति भील निवासी ग्राम केरियाखुर्द तहसील नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. जीता पुत्र पांचू
2. गोपाल पुत्र जीता
3. सांवरा पुत्र जीता,
4. भंवरलाल पुत्र जीता,
5. रामकिशन पुत्र जीता,
6. अमरा पुत्र चन्द्रा,
7. मंगला पुत्र चन्द्रा समस्त जाति भील निवासी ग्राम तहसील नसीराबाद,
8. तहसीलदार अराई जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 8 अनुपस्थित
9 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 29.5.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.15, 11/2664 रकबा 0.09, 2 रकबा 0.60, 3 रकबा 0.65, 8 रकबा 0.35 की आराजी जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता की खातेदारी है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को सीमा ज्ञान के लिये आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.06.21 को मौके पर सीमाज्ञान कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी अपनी आराजी का विकास कार्य करवाना चाहता है जिसके लिये पत्थरगढी करवाना आवयक है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के विकास कार्य करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने जवाब नही दिया तथा उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 8 प्रकण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.21 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकर ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः ग्राम मोराझडी तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.15, 11/2664 रकबा 0.09, 2 रकबा 0.60, 3 रकबा 0.65, 8 रकबा 0.35 की आराजी पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद